बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0- 11/विविध-6-11/14-   पटना, दिनांक-

निबंधित

आदेश

मेसर्स सुप्रीम ब्रहमपुत्रा (जे0भी0), प्लाट नबंर- 94/बी0, प्रतापगढ़, आई0 -आई0टी0 मेन रोड के सामने, पवई, मुम्बई-400076 के मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के परिक्षेत्राधीन सारण नहर प्रमण्डल, मढौरा के अधीन एकरारनाम संख्या- 1 एस0बी0डी0/12-13 के विरूद्ध जालसाजी के तहत एकरारनामा के शर्त्तों के विरूद्ध बिना विभागीय अनुमति के सामग्री प्राप्त कर कुल रू0-49,72,081/- (उनचास लाख बहत्तर हजार इक्कासी रू0) का गबन कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुचाने तथा विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने के लिए दोषी पाते हुए विभागीय पत्रांक 05 दिनांक- 02.01.15 द्वारा कारण पृच्छा नोटिस दिया गया । जिसका उत्तर अप्राप्त रहने पर पुन: विभागीय पत्रांक-1319 दिनांक- 11.03.15 द्वारा अंतिम रूप से उन्हें स्मारित किया गया । इसके बावजूद कंपनी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फलत: इस मामले में एकपक्षीय समीक्षा की गयी ।

समीक्षोपरांत अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि एकरारनामा संख्या - 1 एस0बी0डी0/12-13 के तहत सारण नहर प्रमंडल गोपालगंज, सारण नहर प्रमंडल, भोरे, सारण नहर प्रमंडल मैरवा तथा सारण नहर प्रमंडल मढौरा के अन्तर्गत सारण मुख्य नहर, कटैया शाखा नहर हथुआ शाखा नहर एवं मढौरा शाखा नहर बांध पर पक्कीकरण कार्य सुप्रीम ब्रहमपुत्रा (जे0भी0) मुम्बई को एकरारनामा के तहत कार्य फिनिश दर पर करना था। जिसमें संवेदक को कोई भी सामग्री की आपूर्त्ति नहीं की जानी थी । एकरारनामा के विरूद्ध सारण नहर प्रमंडल मढौरा के अधीन विभागीय पदाधिकारियों से मिलीभगत कर जालसाजी के तहत "0.75 से 1.5" का 94.93 m^3 (3352 घनफीट) तथा "1.5 से 2" साइज का 1504.25 m^3 (53115.115 घनफीट) स्टोन मेटल Hand Receipt पर संवेदक द्वारा प्राप्त किया गया । जिससे सरकार को कुल- 49,72,081/- रूपये का आर्थिक क्षति हुई । साथ ही सारण मुख्य नहर के 52-44 से 54.88 कि0मी0 तथा 54.88 से 57.93 कि0मी0 के बीच सड़क निर्माण कार्य में ईट चिमनी के कोयले के राख को मेटल में मिक्स कर कम्पैक्सन किया जाना पाया गया, जो विशिष्टि के अनुरूप नहीं है ।

कम्पनी का उक्त कृत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम 11(क)(ii) में वर्णित एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुरूप कार्य निष्पादन में चूक की श्रेणी में आता है, जो कदाचार माना गया है ।

अत: उक्त कृत/ कदाचार के लिए संवेदक सुप्रीम ब्रहमपुत्रा (जे0भी0) प्लाट नंबर- 94/बी0, प्रतापगढ़ आई0आई0टी0, मेन रोड के सामने पवई, मुम्बई 400076 के निबंधन संख्या- 15/2012 (प्रथम श्रेणी) को दो वर्षो के लिए निलंबित किया जाता है ।

कृ0प030

साथ ही एकरारनामा के विरूद्ध प्राप्त किए गए विभागीय सामग्री की कीमत रूपया- 49,72,081/- (उनचास लाख बहत्तर हजार एक्कासी) की वसूली संवेदक द्वारा कराये गये कार्य के विरूद्ध भूगतेय राशि से की जायेगी ।

ह0/-
(रामपुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख(मध्य) ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि:- मेसर्स सुप्रीम ब्रह्मपुत्रा (जे0भी0) मु0- तारालाल बालू नगर, नियर, जे0एम0 आई0टी0 कॉलेज, बीसाइड- एन0ए0एच0आई0 ऑफिस, चित्रदुर्ग (कर्नाटक)/प्लाट नंबर- 94/बी, प्रताप गढ़ आई0आई0टी0 मेन गेटके सामने, पवई, मुम्बई - 400076 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(रामपुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख(मध्य) ।

ज्ञापांक- 2275 पटना, दिनांक- 30.04.15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग/ सचिव, लघु जल संसधन विभाग / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 2, 3 एवं बाढ़ मो0/ आई0टी0/ मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को वेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(रामपुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख(मध्य) ।